

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, डण्डाली

प्रकरण सं.:-19/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1154

दिनांक:- 22-5-18

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी डण्डाली व भू.अ.नि. भूका वगतसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अनुसरण में ग्राम डण्डाली, सरैली की ढाणी, तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 व 2073-2076 में खाता संख्या 84,83 व 31 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	डण्डाली	84	59,60		रुगाराम उर्फ
2	डण्डाली	83	218,219,238,321		रुगनाथराम पुत्र
3	सरैली की ढाणी	31	467,490,491 511,520	रुगाराम पुत्र भूराराम	भूराराम <u>शेष बदुस्तर</u>



लो.अदा./2018/1155-1157

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 22-5-18

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रुगाराम उर्फ रुगनाथराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी